RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-01
January -2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में मनरेगा की भूमिका : मीडिया की भूमिका के विशेष संदर्भ में

शोधार्थी राजेन्द्र कुमार पटेल

राजनीति विज्ञान एवं लोकप्रशासन विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विवि सागर (म.प्र.)

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 16 Jan 2020

Keywords
लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, मनरेगा, मीडिया

***Corresponding Author**
Email: rajendrapatel299[at]gmail.com

ABSTRACT

विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र कहलाने वाले भारत में आजादी के साथ ही संसदीय प्रणाली को अपनाया गया और लोकतंत्र स्थापित किया गया जिस कारण भारत में विकेन्द्रित शासन व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्मात्री सभा के अनुभवों के अनुसार सम्पूर्ण देश के गांवों का शासन राजधानी दिल्ली से कर पाना संभव न था जिस कारण संविधान द्वारा देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया जिससे सत्ता का हस्तांतरण ऊपर से नीचे की ओर किया जाने लगा और उच्च अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायित्व की भूमिका बढ़ने लगी। विकेंद्रीकरण से स्थानीय जनता का चहुमुखी विकास संभव हो पाता है वहीँ प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सामाजिक व आर्थिक विकास का अधिकार भी जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण द्वारा ही सही अर्थों में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। इससे ही जनता में सहयोग, उत्तरदायित्व, स्वावलंबन आदि गुणों का विकास होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा देश होने के साथ–साथ देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिस कारण गाँधी जी ने इसे "गाँवो के देश" की संज्ञा दी थी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के चलते अधिकांश लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे है जिसके कारण आज कई गाँव वीरान होने की स्थिति में है। जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोगों को अपने ही गांवों में रोजगार प्रदान कराने का निर्णय लिया गया और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया गया जिससे लोगो को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया जिसमे लोगों को अपने ही गांवों में विकास के कार्यों में लगाया गया। जिस कारण लोगों को रोजगार मिलने के साथ–साथ उनके गांवों का भी विकास होने लगा, जिससे धीरे–धीरे ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और गांवों से शहरो की और होने वाले पलायन में भी कमी होने लगी। जो सिर्फ लोकतंत्र के द्वारा ही संभव हो सका और इसके साथ–साथ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से त्रिस्तरीय व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से होने लगा जिसमे सत्ता का हस्तांतरण जिला, जनपद और ग्राम स्तर पर ऊपर से नीचे की तरफ होने लगा और उत्तरदायित्व नीचे के स्तर वालों का ऊपर के स्तर वालों के लिए बढ़ गया। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता के हस्तांतरण और जन नीतियों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन और सुचारू रूप से संचालित होने के पीछे सबसे प्रमुख योगदान लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहलाने वाली मीडिया का है क्योकि लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है जिसमे जनता द्वारा चुने हुए लोग होते है जिनके प्रति ये उत्तरदायी भी होते है। इन प्रतिनिधियों को तानाशाही होने से रोकने का योगदान सिर्फ मीडिया को जाता है जिससे इसे लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है जिससे लोगो को सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों और उनकी गतिविधियों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। देष–विदेष में हो रही समस्त प्रकार की गतिविधियों को जन–जन तक पहुचने और उजागर करने का कार्य मीडिया द्वारा हर समय किया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता देखने को मिलती है, इस कारण लोकतंत्र आज भी भारत देश में जीवित और व्याप्त है।

प्रस्तावना

लोकतंत्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मीडिया की अहम् भूमिका है। आधुनिक काल में मीडिया मानव मूल्यों की गरिमा बनाए रखने तथा मनुष्य के राजनैतिक व सामाजिक अधिकारों की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है। इसीलिए इंग्लैण्ड के महान दार्शनिक व वक्ता एडमण्ड बर्क ने इसे राष्ट्र का चौथा आधार स्तम्भ कहा।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को प्रषासनिक स्थानीय इकाइयों को समर्पित अर्थपूर्ण प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्थानीय नागरिकता के लिए अच्छी और उत्तरदायी मानी गई हैं, जो पूर्ण राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेते हुए कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। यह एक राजनीतिक अवधारणा है इस प्रक्रिया के माध्यम से शक्ति का विकेन्द्रीकरण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। इसका एकमात्र उद्देष्य प्राधिकरण और विषेषज्ञता के क्षेत्र का विस्तार करना और लोगों को राजनीति और प्रषासनिक मामलों में अधिक से अधिक भागीदारी करने में सक्षम बनाना है। इन उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए नए संस्थान बनाए जाते हैं और पुराने और मौजूदा संस्थानों को पुनर्गठित या पुनर्निर्मित और सुधारित किया जाता है।

इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण है, जिस स्रोत से इस शक्ति को विकेन्द्रीकृत किया जाता है वह लोकतांत्रिक संरचना पर आधारित होती है और इसलिए इस तरह के विकेन्द्रीकरण को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कहा जाता है।[1]

इस शोध पत्र के लेखन कार्य के पीछे मेरा जो उद्देष्य है वह भारत में लोंकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति का अध्ययन करना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

RRIJM 2015, All Rights Reserved

के क्रियान्वयन का अध्ययन करना और मीडिया द्वारा प्रकाषित प्रकाषनों का अध्ययन करना है।

इस शोध पत्र में मेरे द्वारा द्वितीयक सामाग्री का उपयोग किया गया है जो विभिन्न विद्वानो द्वारा लिखी गई पुस्तकों, जर्नलस, इंटरनेट साइटस्, अखबार व टीवी चेनल पर प्रकाषित खबरे आदि है।

भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था

लोकतांत्रिक व्यवस्था में "जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है।" फिर भी अधिकार बड़े ही मादक व सारहीन होते है अतः सत्तासीन व्यक्ति सत्ता के मद में थोड़ा विचलित हो सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया सरकार की नीतियों का विश्लेषण समालोचना व आलोचना करते हुए इस पर नियंत्रण बनाए रखती है। मीडिया शासन के सभी अंगों की गतिविधियों से जनता को अवगत कराती है उसमें जागरूकता लाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अभिरुचि पैदा करती है। यह संसद व कार्यपालिका को जनता की रुचियों व आवश्यकताओं से अवगत कराती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जनता की भावनाओं की उपेक्षा कर जीवित नहीं रह सकती। मीडिया जनता की इच्छाओं व आकांक्षाओं को संसद तक पहुँचाती है। जिसके आधार पर तमाम नीतिगत मुद्दे संसद में तय होते है। कभी–कभी सरकार को अपने स्त्रोतों से यह नहीं ज्ञात हो पाता है कि कहाँ–कहाँ उसके शासन में अन्याय व अत्याचार हो रहा है किन्तु मीडिया शासन को ऐसी खामियाँ से अवगत कराती रहती है।[2]

लोकतंत्र में अधिकार

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार संबंधी घोषणापत्र 1948 में कहा गया था कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, समाज आदि से इतर होते हैं। रही बात मौलिक अधिकारों की तो ये देश के संविधान में उल्लिखित अधिकार है। ये अधिकार देश के नागरिकों को किन्हीं आपात परिस्थितियों को छोड़कर देश में निवास कर रहे सभी लोगों को प्राप्त होते हैं।[3]

मानवीय स्वतंत्रता मानव विकास की आधारषिला है, जन्म के समय मानव एक षरीर मात्र होता है। परिवार एवं समाज के संपर्क में आने पर वह मानवीय गुणों को सीखता है तथा मानव अधिकारों से परिचित होकर विकासोन्मुख होता है और लोकतांत्रिक राष्ट्रों में वहॉ का नागरिक होने के आधार पर लोकतंत्र में हिस्सा लेता है। देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशील तथा संप्रभुता संपन्न धर्म–निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा, तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहासिक परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक के साथ–साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी अंतर्भूक्त है। इसके अलावा संविधान में बोलने की आजादी के साथ–साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने–जाने की भी आजादी दी गई है। जिसके परिणामस्वरूप 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।[4]

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायती राज व्यवस्था

देश में स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण विकास की दिशा में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1952 को भारतीय शासन ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात् ग्रामीण भारत में निवास कर रहे गरीबों की समस्याओं का अध्ययन करने व पंचायती राज पर विचार के लिए 1957 में बलवंत राय मेंहता समिति का गठन किया गया। नवम्बर 1957 में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करते हुए पंचायती राज रखा गया। स्वतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज की स्थापना को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सर्वप्रथम राजस्थान को पंचायती राज स्थापना करने वाला प्रथम राज्य का गौरव प्राप्त हुआ, परन्तु पंचायती राज शासन का सम्पूर्ण व सुचारू क्रियान्वयन न होने के कारण समस्याएं उभरने लगी।[5]

पंचायतों में आर्थिक संसाधनों के अभाव, ग्रामीण जनता की उदासीनता, सरकारी पदाधिकारियों का असहयोग, राज्य सरकारों की निष्क्रियता आदि कारणों ने पंचायती व्यवस्था को निष्प्रभावी बना दिया। बहुत से राज्यों में कई वर्षों तक पंचायतों के चुनाव ही नही कराए गए और दलीय मुद्दों को लेकर पंचायतों का अतिक्रमण किया गया। 1965 से लगभग दो दशकों तक पंचायती संस्थाएं अव्यवस्था का शिकार रहीं। इस सबका परिणाम यह हुआ कि पंचायती राज संस्थाएं जैसे आस्तित्वहीन हो गई।

लोकतंत्र में ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय संस्थाओं की रचना अधिकार व कार्य की स्थापना के लिए संविधान में 1989 में विधेयक प्रस्तुत किया गया परन्तु कुछ कारण से यह अधिनियम पारित नहीं हो सका। 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा व 23 दिसम्बर 1992 को राज्यसभा में पंचायती राज्य अधिनियम पारित होकर राज्यों में अनुसमर्थ होकर भेजा गया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् 23 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया।[6]

शासन व सत्ता में आम जन की भागीदारी सुशासन की पहली शर्त हैं। जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था ही एक कारगर उपाय है। विश्व स्तर पर इस तथ्य को माना जा रहा है कि लोगों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विकेन्द्रीकृत

RRIJM 2015, All Rights Reserved

व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जो कार्यों के समुचित संचालन व कार्यो को करने में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जबाबदेही को हर स्तर पर सुनिश्चित करने के रास्ते खोलती है। प्रत्येक स्तर पर लोग अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सही व संविधान के दायरे में रह कर प्रयोग कर सकें इस के लिए विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई है इस व्यवस्था में अलग–अलग स्तरों पर लोग अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझकर उनका निर्वाहन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर एक दूसरे के सहयोग व उनमें आपसी सामंजस्य से हर स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का, आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है साथ ही हर स्तर पर प्रत्येक इकाई को अपने संसाधन स्वयं जुटाने का भी अधिकार व जिम्मेदारी होती है। लेकिन विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नहीं कि हर कोई अपने–अपने मनमाने ढंग से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र है। कार्य करने की स्वतन्त्रता सुशासन के संचालन के लिए बनाये गये नियम कानूनों के दायरे के अन्दर होती है। भारत में अब नये पंचायती राज में विकेन्द्रीकरण की पूर्ण व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार ग्राम स्तर पर योजना बनेगी व ब्लाक, जिला, राज्य से होती हुई केन्द्र तक पहुँचेगी। योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन द्वारा होगा। इस प्रकार विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सत्ता व शक्ति एक केन्द्र में न रहकर विभिन्न स्तरों पर विभाजित हो गई है। जिसके माध्यम से स्थानीय व ग्रामीण लोगों को प्रशासन में पूर्ण भागीदारी निभाने का अधिकार प्राप्त हो गया है।[7]

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और मनरेगा

वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में स्वतंत्रता और समानता मनुष्य की प्रथम माँग है लोकतांत्रिक राष्ट्रों में नागरिकों को उनके सर्वागींण विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएँ एवं स्वतंत्रताएँ प्रदान की जाती है। मनुष्य के लिए जहाँ भोजन, वस्त्र, आवास और सुरक्षा अपरिहार्य है वही उसके साथ कतिपय ऐसी अन्य आवष्यकताएँ भी है जो वर्तमान में मानव के लिए अत्यंत आवष्यक है जिसमें रोजगार भी षामिल है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि 'भारत की आत्मा गाँवो में बसती है' इन्ही मूल भावनाओं के अनुरूप भारतीय संविधान के नीति निर्देषक तत्वों में गाँधी जी की विकेन्द्रीकरण की धारणा को स्वीकार किया गया था। केन्द्र की तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने भारतीय संविधान में 73वें सविधान संषोधन विधेयक के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का षुभारंभ भारत में किया। म.प्र. भारत का प्रथम राज्य बना जिसने इस व्यवस्था का व्यवहारिक क्रियान्वयन त्वरित रूप से लागु किया।

ग्रामीण भारत में रोजगार का संकट षहरी रोजगार से भिन्न है षहरों में जहाँ पूर्णकालिक बेरोजगारी पायी जाती है वही ग्रामीण क्षेत्रों में अर्द्धकालिक बेरोजगारी पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास कृषि उपरांत 6 माह तक कोई काम नही रहता है। समाचार पत्रों में एवं मीडिया के विभिन्न माध्यमों में कृषि क्षेत्र की इस अर्द्धबेरोजगारी पर चिंतन मनन एवं प्रकाषन होता रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिह सरकार ने इस दिषा में एक क्रांतिकारी प्रयास करते हुए ग्रामीण भारत को अर्द्धवार्षिक बेरोजगारी से मुक्ति हेतु भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की याद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की गई। जिसे केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिलाकर एक नवीन योजना बनाई गई जिसे हम **''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना''** के नाम से जानते है जो 2 फरवरी 2006 में आंध्रप्रदेष के अनंतपुर गाँव से प्रारम्भ की गई। 2006–07 में यह योजना भारत के 200 जिलों में प्रारम्भ हुई और 2007–08 में 150 और अन्य जिलों में यह प्रारम्भ हुई एवं 1 अप्रेल 2008 से यह भारत के समस्त राज्यों में संचालित हो रही है। 2 अक्टुबर 2009 में इस बहुउद्देषीय योजना का नाम परिवर्तित करके गाँधी जी का नाम जोड़ते हुए **''महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना''** कर दिया गया।[8]

योजना के प्रमुख उद्देष्य

मनरेगा में मजदूरों को सहूलियत देते हुए मजदूरी करवाना होता है इसलिए खेती का काम बंद होने के बाद मनरेगा का काम संचालित किया जाता है। इस योजना को गाँव के छोटे से छोटे विकास को ध्यान में रखकर लागू किया गया था, यह योजना न केवल ग्रामीणों का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करती है साथ ही साथ गाँव को एक सभ्य एवं स्वच्छ गाँव का रूप प्रदान करती है।

- ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दूर करना
- ग्रामीण लोागों को उनके ही गाँव में रोजगार उपलब्ध कराना
- ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना
- रोजगार के लिए पलायन रोकना
- पंचायत के आस पास काम करने के लिए प्रोत्साहित करना

इस योजना के द्वारा व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर व्यक्ति के आर्थिक विकास को संभव बनाना ताकि उसके गरिमापूर्ण जीवन को संभव बनाया जा सकें और रोजगार की तलाष में ग्रामीणों के पलायन को रोका जा सकें अर्थात् ग्रामीण लोग अपने गॉव में रहकर गारण्टी के साथ रोजगार प्राप्त कर अपना आर्थिक विकास कर सकें जिससे ग्रामीण बेरोजगारी को कम किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार गारण्टी के साथ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जिसमें संयुक्त प्रगतिषील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमति सोनिया गाँधी ने गरीबी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

हटाने और रोजगार को कानूनी गारंटी देने के इस नए ऐतिहासिक प्रयास और पहल से लोगो की भागीदारी का जोरदार आह्वान करते हुए कहा है कि यह पहला सुनहरा मौका है जब गाँवों के स्वषासन है और स्वराज के सपने को आकार देते हुए इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने की एवं ग्राम पंचायतो को सीधे और सषक्त भगीदार बनाया गया है।[9]

योजना के कार्य

मनरेगा ग्रामीण विकास और रोजगार के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त करता है। मनरेगा यह उल्लेख करता है कि कार्य को ग्रामीण विकास गतिविधियों के एक विशिष्ट सेट की ओर उन्मुख होना चाहिए जैसे : जल संरक्षण और संचयन, वनीकरण, ग्रामीण संपर्क–तंत्र, बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा जिसमें शामिल है तटबंधों का निर्माण और मरम्मत, आदि। नए टैंक, तालाबों की खुदाई, रिसाव टैंक, छोटे बांधों के निर्माण और अन्य प्रकार के ग्रामीण विकास जैसे कार्यों को भी महत्व दिया जाता है। कार्यरत लोगों को भूमि समतल, वृक्षारोपण जैसे कार्य प्रदान किये जाते हैं।[10]

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका

लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले देशों में मीडिया को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। यह सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि व्यावहारिक तौर पर भी है। जबकि जिन देशों को दोषपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है, वहां मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेकिन राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी तरीके से इस पर नकेल कसती रही है। इसके बावजूद इनकी खासियत यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर मीडिया को लिखने–बोलने की पूरी आजादी दी गई है।

सत्ता का विकेंद्रीकरण सत्ता भोगी राजनेताओं को जरा सा भी नहीं सुहाता। अधिकांश राजनेता सत्ता से दूर रहकर श्वॉस लेने तक में कठिनाई महसूस करते हैं, तो भला वे क्यों चाहेंगे कि जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाये जाने की आसानी सी कोई प्रक्रिया का सूत्रपात कर नागरिकों को शक्ति सम्पन्न करें। लोगों की इसी मानसिकता के कारण ही भारतीय राजनीति एवं जन–जीवन के अन्य क्षेत्रों में राजघराने शाही का उदय हुआ है। लोगों के प्रवचनों एवं अन्य माध्यमों से प्रचार–प्रसार करके यह तथ्य फैलाया जाता है कि भारत की बागडोर संभालने में अमुक परिवार एवं उसके चाटूकर सहयोगी ही उपयुक्त हैं। किसी नौसिखिए को सत्ता मिलने पर देश चलाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। मान लीजिए किसी राज्य या देश में ऐसे लोग चुनाव द्वारा संसद या राज्यों की विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, जो पहली बार जनप्रतिनिधि चुने गये हैं तथा उन्हें सत्ता चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है तो क्या जनादेश की अवमानना कर खानदानी शासक ढूंढे जायेंगे? भारतीय संविधान में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, हां एक परंपरा खानदानी शासकों को ढूंढने की अवश्य विकसित है। यही भारतीय लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और कमजोरी भी है।[11]

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकृत सरकार की योजना मनरेगा के क्रियान्वयन में मीडिया का योगदान

मीडिया के द्वारा समय समय पर मनरेगा से संबंधित सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों और गतिविधियों की जानकारियाँ जनता तक पहुॅचायी गई जिससे जनता को जागरूक बनाया जा सकें जैसे :–

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की समीक्षा रिपोर्ट पेश की जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस योजना से अब तक पांच करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचा है। इस योजना से अब तक देश के ग्रामीण 37 हजार करोड़ रुपए कमा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इस योजना को यूपीए की सबसे सफल योजना बताने में भी देर नहीं लगायी। इस योजना में हर साल 12 करोड़ जॉब कार्ड जारी हुए हैं और 80 प्रतिशत मजदूरी सीधे मजदूरों के खातों में पहुंच रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार यह रिपोर्ट करीब 122 पेज की है।[12]

महात्मा गांधी नरेगा योजना दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम है। विष्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बात स्पष्ठ की है कि विष्व बैंक के तहत अभी तक भारत में 18.2 करोड़ लोगों को फायदा मिल चुका है और 15 फीसदी जरूरतमंद लोगों को इस योजना से सामाजिक सुरक्षा मिलती है।[13]

लोकसभा में 27 फरवरी 2015 को दिए एक अहम बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था ''मनरेगा आपसी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये मैं गाजे–बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा।'' लेकिन अब एक साल बाद महात्मा गांधी नरेगा योजना को लेकर सरकार की सोच में बदलाव दिख रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय का दावा है कि 2015–16 में मनरेगा दोबारा पटरी पर लौटा है। पिछली दो तिमाही में औसतन जितना रोजगार मिला, उतना पिछले पांच साल में नहीं हुआ था। ये आंकड़े ऐसे वक्त पर जारी किए गए हैं, जब मनरेगा को लेकर सरकार की मंशा को लेकर विरोधी पार्टियां समय–समय पर सबाल उठाती रही हैं। ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि ग्रामीण भारत में भूमिहीन गरीब लोगों की निर्भरता मनरेगा पर बढ़ती जा रही है।[14]

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत होने वाले कामकाज की तस्वीरें लेने के लिए इसरो ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 28 जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत जियो–मनरेगा (Geo&MGNREGA) के तहत कामकाज की बेहतर निगरानी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हजारों हाई–रिजोल्यूशन तस्वीरें लेनी शुरू कर दी हैं जिन्हें जियो–टैग किया जाएगा।[15]

भारत में गरीबी हटाने के लिए सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मनरेगा को इस बजट सत्र में 48000 करोड़ रुपये के कोष का आवंटन किया गया है। यानी इस साल वित्तमंत्री अरुण जेटली ने साल 2017–18 के बजट में मनरेगा के लिए आवंटन 11 हजार करोड़ रुपए का इजाफा करते हुए इसे 48 हजार करोड़ रुपए कर दिया है। गौर करने लायक बात यह है कि मनरेगा की मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही आलोचना की थी।[16]

मनरेगा के लाखों मजदूरों को काम करने के बाद भी छह छह महीने से वेतन नहीं मिला है। मीडिया किस हद तक जनविरोधी हो गया है – किसी मजदूर को 2000 नहीं मिला तो किसी को 500, इन पैसों के न होने से उन पर क्या बीत रही होगी, उनका घर कैसे चलता होगा, कायदे से इस बात के लिए देश में हंगामा मच जाना चाहिए। जिस मुख्यधारा की मीडिया के लिए आप पैसे देते हैं, उसने इस तरह का काम लगभग बंद कर दिया है। indiaspend नाम की नई वेबसाइट है, इसने रिसर्च कर बताया है कि सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि 1 अप्रैल 2018 तक लाखों मनरेगा मजदूरों को पैसे नहीं मिले हैं। 2018–19 के लिए सरकार ने मनरेगा का बजट 14.5 प्रतिशत बढ़ाया था तब फिर पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मनरेगा के लिए सरकार का बजट 55000 करोड़ है. 57 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।[17]

मध्यप्रदेश सरकार के लिए लाखों मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी देना मुश्किल हो रहा है, करोड़ों की सामग्री का पेमेंट भी अटका हुआ है। कई जिलों में तीन महीने से ज्यादा की मजदूरी रुकी हुई है। अधिकारी कह रहे हैं, बजट की कमी भुगतान के आड़े आ रही है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है। एक और मामला मनरेगा में भ्रष्टाचार का है, जिससे दूर करने राज्य सरकार अब बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना रही है. सरकार कह रही है, कार्रवाई अब सिर्फ सरपंचों पर नहीं अधिकारियों पर भी होगी।[18]

निष्कर्ष

लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना आवश्यक है यदि स्थानीय शक्तियां राज्य सरकार के हाथों में केन्द्रित रहीं तो जन भागीदारी को शासन से जोडना दुश्वार हो जाएगा। इस तरह षक्तियों के विभाजन के आधार पर ग्रामीण स्तर पर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना 2009 के माध्यम से भारतीय नागरिकों को गारण्टी के साथ रोजगार प्रदान कराया गया जिसमें मीडिया का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है जो समय–समय पर इसका बजट, कार्य, अधिकार, सुधार, भ्रष्टाचार आदि को प्रकाषित करता है जिससे जनता को जागरूक किया जा सकें।

इस योजना को विष्व स्तर पर काफी सराहना मिली देष के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों ने इस योजना से जुडे समाचारों को देष विदेष के विभिन्न मंचो पर उठाया क्योंकि यह भारत की आजादी के बाद एकमात्र ऐसी योजना है जो अर्द्धवार्षिक बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को रोजगार की गारंटी वर्ष के 100 दिन तक सम्मानजनक मानदेय के साथ उपलब्ध कराती है। अतः मीडिया का दायित्व बनता है कि रोजगार के क्षेत्र में भारत में चल रहे इस रोजगारमूलक कार्यक्रम पर सतत् निगरानी रखकर महती भूमिका निभाएँ।

संचारविद मैक्स मैककाम्ब और डोनाल्ड शॉ ने एजेंडा सेटिंग सिद्धांत के जरिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में तीन प्रकार के एजेंडे का जिक्र किया। इनमें पब्लिक एजेंडा, मीडिया एजेंडा और पॉलिसी एजेंडा शामिल हैं। एक आदर्श स्थिति में पब्लिक एजेंडा लोगों की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ा हैं, जिसे वह मीडिया एजेंडे के जरिए राज्य तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि उसे पॉलिसी एजेंडे का अंग बनाया जा सके। मीडिया एजेंडा एक माध्यम है, जो लोगों के मुददे को राज्य तक पहुँचाता है और राज्य का ध्यान उस ओर आकर्षित करता है। वहीं पॉलिसी एजेंडा राज्य द्वारा तय किया जाता है जो पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए लेकिन तीनों एजेंडे में तालमेल व्यावहारिकता के धरातल पर कम ही दिखाई पड़ता है। ज्यादातर मीडिया और राज्य का एजेंडा एक साथ काम करते हैं और पब्लिक एजेंडा हाशिए पर चला जाता है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि जहां इन तीनों में तालमेल होता है वहां समाज, मीडिया और राज्य अपने अधिकारों का भरपूर दोहन करते हुए सुखद स्थिति में होते हैं।

संदर्भ सूची

1. https://www.gkexams.com/ask/64094-Loktantrik-Vikendrikaran-Kya-Hai
2. कष्यप, सुभाष, संसदीय लोकतंत्र का इतिहास, (1998) दिल्ली, पृष्ठ कं. 169–180
3. https://www.drishtiias.com/hindi/burning-issues-of-the-month/human-rights-in-india
4. https://hi.wikipedia.org/wiki/भारत_में_मानवाधिकार

RRIJM 2015, All Rights Reserved

5. शर्मा,श्रीनाथ एवं सिंह,मनोज कुमार, (2000), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, आदित्य पब्लिशर्स बीना, पृष्ठ कं. 27–32
6. शर्मा, ब्रजकिशोर, भारत का संविधान, (2016) सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन नई दिल्ली, पृष्ठ कं. 311
7. राव, एन. भास्कर, सुषासन, (2013) सेज पब्लिकेशन दिल्ली, पृष्ठ कं.143–156
8. सिंह संगीता, पंचायती राज एवं सरकारी योजनाएँ, (2014) दिल्ली पृष्ठ क. 213–220
9. मनरेगा अधिनियम
10. मनरेगा अधिनियम
11. चौधरी, गीता, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के दौर में ग्रामीण विकास, (2010) दिल्ली, पृष्ठ कं. 56
12. आजतक ब्यूरो / नई दिल्ली / 14 जुलाई 2012, अपडेटेड 16:48 IST
13. NDTV INDIA / India / गुरुवार जुलाई 9, 2015 01:25 AM IST
14. NDTV INDIA / India / 1 फरवरी, 2016 8:13 PM
15. NDTV INDIA / India / मंगलवार अगस्त 9, 2016 09:34 PM IST
16. NDTV INDIA / Budget 2017 / बुधवार फरवरी 1, 2017 05:11 PM IST
17. NDTV INDIA / Blogs रविवार मई 6, 2018 07:49 PM IST
18. MP&Chhattisgarh | बुधवार अगस्त 28, 2019 06:55 PM IST

RRIJM 2015, All Rights Reserved